न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 161/2019 वाद

सोहनलाल पिता उदयलाल ब्राह्मण, आयु 30 साल, निवासी चरलिया गदिया, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1. उदयलाल पिता भवानीशंकर ब्राह्मण, आयु 60 साल, निवासी चरलिया गदिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. गोपाल पिता उदयलाल ब्राह्मण, आयु 34 साल, निवासी चरलिया गदिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. प्रहलाद पिता उदयलाल ब्राह्मण, आयु 32 साल, निवासी चरलिया गदिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 03.12.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्वामित्व व आधिपत्य की वाके मौजा चरलिया गदिया की खाता संख्या 4 की आराजी नं. 110, 111, 120, 121, 124, 135, 136, 147, 150, 180, 183, 185, 186, 187, 191, 193, 234, 235, 286, 377, 379 कुल किता 21 कुल रकबा 8.4200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा इस प्रकार है–

भवानी शंकर
↓
उदयलाल
↓
गोपाल | प्रहलाद | सोहन

भवानीशंकर मूल पुरूष थे। भवानीशंकर जी के उदयलाल जी हुए तथा उदयलाल जी के तीन पुत्र गोपाल, प्रहलाद व सोहन हैं। विवादित भूमि भंवानीशंकर जी के जमाने से चली आ रही है जिसमें वादी का प्रतिवादी

संख्या 1 के यहां जन्म लेते ही बाय बर्थ हक अधिकार निहित हुआ तथा उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करने लगे तथा वादी का हिस्सा रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वादी के कथनों को स्वीकार किया और राजीनामें अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्द संवत 2070-73 ग्राम चरलिया गदिया की खाता संख्या 4 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमि उदयलाल पिता भवानीशंकर ब्राह्मण, सा. देह की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। उदयलाल वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जाइन्दा पिता है। वाद में उभय पक्षों ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा पुश्तैनी सम्पत्ति का पिता व तीनों पुत्रों में समान हक हिस्से अनुसार अंकन कराने में सहमति प्रकट की है। वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा चरलिया गदिया की खाता संख्या 4 की आराजी नं. 110, 111, 120, 121, 124, 135, 136, 147, 150, 180, 183, 185, 186, 187, 191, 193, 234, 235, 286, 377, 379 कुल किता 21 कुल रकबा 8.4200 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 03.12.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 161/2019 वाद

सोहनलाल पिता उदयलाल ब्राह्मण, आयु 30 साल, निवासी चरलिया गदिया, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1. उदयलाल पिता भवानीशंकर ब्राह्मण, आयु 60 साल, निवासी चरलिया गदिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. गोपाल पिता उदयलाल ब्राह्मण, आयु 34 साल, निवासी चरलिया गदिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. प्रहलाद पिता उदयलाल ब्राह्मण, आयु 32 साल, निवासी चरलिया गदिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0

इस वाद में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत होने पर निर्णय दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा चरलिया गदिया की खाता संख्या 4 की आराजी नं. 110, 111, 120, 121, 124, 135, 136, 147, 150, 180, 183, 185, 186, 187, 191, 193, 234, 235, 286, 377, 379 कुल किता 21 कुल रकबा 8.4200 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आज दिनांक 03.12.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 13:40:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: